कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com वेबसाइट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाश नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN – SAVE LIFE

अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक : 1322 /स्था/जी.एम.सी./2025 रतलाम, दिनांक :– 28/01/25

//विज्ञप्ति//

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की स्वशासी संस्था के अधीन महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

सक्र	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर				वेतनमान
			UR	SC	ST	OBC	
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	–	–	–	01	छटवें वेतनमान में वेतन 15600–39100+5400

उक्त पदों की शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अहर्ताएं निम्नानुसार हैं:–

सक्र	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अहर्ताएं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई/एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	65 वर्ष

उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एंव आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप व आवेदन शुल्क इत्यादि डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाइट (**www.gmcratlam.org**) पर उपलब्ध है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम के नाम से बंद लिफाफे में पद का नाम व स्वयं का नाम एंव पद आवश्यक रूप से अंकित कर भेजे (**आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 17.02.2025 सांय 05:00 बजे तक है।**) निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जावेगी। स्क्रुटनी एंव साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय–समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. स्व.चि.महा. रतलाम (म0प्र)

DEAN & CEO Dr. L.N.P. Medical College, Ratlam (M.P.)

Scanned with CamScanner

महिला चिकित्सा अधिकारी

नोटः– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2025 को पद अनुरूप 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र सी–3–8/2016/3–एक भोपाल, दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

अनारक्षित पुरूष वर्ग के लिये	40 वर्ष
अनारक्षित महिला वर्ग के लिये	45 वर्ष
आरक्षित वर्ग हेतु अ.पि.व/अजजा/अजा हेतु	45 वर्ष
पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी अभ्यार्थियों को ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. आवेदक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न न करने पर अपूर्ण आवेदन पत्र को अमान्य किया जावेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

5. आवेदक पूर्व से जिस संस्था में कार्यरत है, उस संस्था के सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

(7) पदो की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

(8) किसी भी समय बिना कारण बताये विज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकता है।

(9) किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

10. <u>निरहर्ताए–</u>

(1) विकृत चित्त वाला होने पर

(2) दुष चरित्र होने पर

(3) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

(4) नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

(5) विवाह संबंधी–जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नि/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

Scanned with CamScanner

(6) जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)

(7) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।

(8) कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणास्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(9) ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालंय में विचाराधीन है अथवा उसका नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

(10) उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

11 आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम, ग्राम बंजली– सैलाना रोड़, रतलाम के नाम से बंद लिफाफे पर पदनाम व स्वंय का नाम व पता अंकित कर भेजने की अंतिम तिथि **(दिनांक ...17/02/2025... सांय 05:00 बजे तक है)**। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जावेगी। स्क्रुटनी एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय–समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

महत्वपूर्ण टीप :–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताए और शर्तो को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अपात्र पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जॉच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा.स्व. चि.महाविद्यालय (म०प्र)

DEAN & CEO
Dr. L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

Scanned with CamScanner